

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 38] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 16, 1973/माघ 27, 1894

No. 38] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 16, 1973/MAGHA 27, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 16th February 1973

SUBJECT.—*Trade with Bangladesh during the period from 28th March 1972 to 27th March, 1973.*

No. 26-ITC(PN)/73.—Attention is invited to the late Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 180-ITC(PN)/72, dated the 8th December, 1972, regarding trade with Bangladesh outside the Limited Payments Arrangement as amended by Public Notices No. 190-ITC(PN)/72, dated the 22nd December, 1972 and No. 3-ITC(PN)/73, dated the 1st January, 1973.

2. In accordance with the aforesaid Public Notices, exports of textiles (including handloom and art silk fabrics, cellulosic and non-cellulosic) to Bangladesh outside the Limited Payments Arrangement will be allowed only through the Cotton Textiles Export Promotion Council, Handloom Export Promotion Council, and Silk and Art Silk Export Promotion Council.

3. On a review of the position, it has been decided that the exports of all textiles (mill-made handloom and powerloom) to Bangladesh outside the Limited Payments Arrangement will be allowed to all eligible exporters subject to the normal policies and procedures. The exporters shall be required to register their export contracts with the respective Export Promotion Council for claiming export benefits as may be admissible under the normal policy. The exports shall also be subject to pre-shipment inspection by the Textile Committee.

4. The late Ministry of Foreign Trade Public Notices No. 180-ITC(PN)/72, dated the 8th December, 1972, No. 190-ITC(PN)/72, dated the 22nd December, 1972 and No. 3-ITC(PN)/73, dated the 1st January, 1973, may be deemed to have been amended accordingly.

K. S. NARANG,

Chief Controller of Imports and Exports.

बाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1973

विषय .—28-3-1972 से 27-3-1973 तक की अवधि में बंगला देश के साथ व्यापार ।

सं० 26 आई० टी० सी० (पी० एन०)/73.—सार्वजनिक सूचना सं० 190—आई० टी० सी० (पी० एन०)/72 दिनांक 22 दिसम्बर, 1972 तथा सं० 3—आई० टी० सी० (पी० एन०)/73 दिनांक 1 जनवरी 1973 द्वारा यथा संशोधित, सीमित भुगतान व्यवस्था के बाहर बंगला देश के साथ व्यापार के संबंध में भूदपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 180—आई० टी० सी० (पी० एन०)/72 दिनांक 8 दिसम्बर 1972 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

2. उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना के अनुसार सीमित भुगतान व्यवस्था के बाहर बंगला देश को वस्त्रों (हथकरघा तथा कृत्रिम रेशम के वस्त्रों, सैल्यूलोसिक तथा गैर सैल्यूलोसिक) के निर्यात केवल सूती गस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद और रेशम तथा कृत्रिम रेशम निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा ही किए जायेंगे ।

3. स्थिति का पुनर्विलोकन करने पर यह विनिश्चय किया गया है कि सभी पात्र निर्यात सीमित भुगतान व्यवस्था के बाहर बंगला देश को सभी वस्त्रों (मिल निर्मित, हथकरघा तथा शक्ति-चालित करघा) के निर्यात सामान्य नीतियों तथा क्रियाविधियों के अधीन कर सकेंगे । सभी निर्यातकों

को सामान्य नीति के अन्तर्गत अनुज्ञेय निर्यात लाभों का अधिकार मांगने के लिए अपनी अपनी निर्यात संवर्धन परिषद के साथ अपनी निर्यात संविदाओं को पंजीकृत कराना अपेक्षित होगा। इन निर्यातों का वस्त्र समिति द्वारा पोत-लदान पूर्व निरीक्षण भी किया जाएगा।

4. भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 180—आई० टी० सी० (पी० एन०)/72 दिनांक 8 दिसम्बर, 1972 सं० 190—आई० टी० सी० (पी० एन०)/72 दिनांक 22 दिसम्बर, 1972 और सं० 3—आई० टी० सी० (पी० एन०)/73 दिनांक 1 जनवरी, 1973 को तदनुसार संशोधित समझा जाए।

के० एस० नारंग,

मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात।

